भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4444

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों का बचाव

4444. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राजमार्ग दुर्घटनाओं के लिए बचाव प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बुनियादी आघात जीवन समर्थन और सड़क दुर्घटना जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना बचाव कार्यों के लिए अनिवार्य पुलिस नियंत्रण वैन और राजमार्ग बचाव वाहनों के उपकरणों की कोई सूची सभी पुलिस विभागों को प्रसारित की है और यदि हां, तो राज्य-वार कितने राजमार्ग बचाव वाहन चालू किए गए हैं और उनमें मौजूद उपकरणों की सूची क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने सड़क एम्बुलेंस से संबंधित नियमों अर्थात केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2, 108, 119, 125च में जीएसआर 868 (ड.) दिनांक 08.09.2016 के तहत संशोधन किया है। नियम 125च में प्रावधान है कि 1 अप्रैल, 2018 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एल और एम की सड़क एम्बुलेंस, इसमें निर्दिष्ट सभी प्रकार की एम्बुलेंस के लिए समय-समय पर संशोधित एआईएस: 125 (भाग 1)-2014 के अनुसार होंगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है, जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए उत्तरदायी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 20.03.2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजमार्ग गश्ती वाहनों में जनशक्ति के साथ-साथ एम्बुलेंस में आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन की योग्यता और अनुभव की आवश्यकता को परिभाषित किया है, जो गश्ती वाहन के साथ-साथ एम्बुलेंस कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस के लिए प्रावधान किए हैं। एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एनएच पर एम्बुलेंस की सूची अनुबंध-I के अनुसार संलग्न है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर ठेकेदारों/रियायतग्राहियों द्वारा तैनात राजमार्ग गश्ती वाहन आईआरसी एसपी:84/87 के प्रावधानों के अनुसार हैं, जिसमें गश्ती वाहनों के लिए उपकरणों के साथ-साथ कर्मियों की सूची निर्दिष्ट की गई है। हालाँकि, एनएचएआई द्वारा पुलिस नियंत्रण वैन के संबंध में कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया गया है क्योंकि राज्य पुलिस संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। एनएचएआई परियोजनाओं पर तैनात राजमार्ग गश्ती वाहनों की संख्या अनुबंध-II के अनुसार संलग्न है।

अनुबंध - I

"सड़क दुर्घटना पीड़ितों के बचाव" के संबंध में श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4444 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंसों की सूची नीचे दी गई है: -

क्र. सं.	एनएचएआई आरओ	तैनात बीएलएस एम्बुलेंस की संख्या	तैनात एएलएस एम्बुलेंस की संख्या
1	बेंगलुरु	75	-
2	भोपाल	69	-
3	भुवनेश्वर	22	5
4	चंडीगढ़ (पंजाब, हरियाणा)	73	-
5	चेन्नई	40	-
6	देहरादून	11	-
7	दिल्ली	34	-
8	गांधीनगर	45	-
9	गुवाहाटी	17	-
10	हैदराबाद	39	1
11	जयपुर	115	-
12	जम्मू	14	-
13	कोलकाता	36	-
14	लखनऊ (पश्चिम उत्तर प्रदेश)	64	2
15	मदुरै	41	-
16	मुंबई	50	-
17	नागपुर	30	6
18	पटना	42	-
19	रायपुर	21	-
20	रांची	21	4
21	शिमला	12	-
22	तिरुवनंतपुरम	6	-
23	वाराणसी (पूर्व उत्तर प्रदेश)	66	3
24	विजयवाड़ा	87	-
	कुल	**1030**	**21**

अनुबंध - II

"सड़क दुर्घटना पीड़ितों के बचाव" के संबंध में श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4444 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनएचएआई परियोजनाओं पर तैनात राजमार्ग गश्ती वाहनों की संख्या नीचे दी गई है: -

एनएचएआई आरओ	**एनएचएआई द्वारा तैनात आरपीवी की संख्या**
बेंगलुरु	93
भोपाल	92
भुवनेश्वर	36
चंडीगढ़	73
चेन्नई	59
देहरादून	12
दिल्ली	38
गांधीनगर	61
गुवाहाटी	12
हैदराबाद	48
जयपुर	134
जम्मू	14
केरल	1
कोलकाता	29
लखनऊ (पश्चिम उत्तर प्रदेश)	61
मदुरै	46
मुंबई	43
नागपुर	47
पटना	49
रायपुर	17
रांची	21
शिमला	8
तिरुवनंतपुरम	6
वाराणसी (पूर्व उत्तर प्रदेश)	53
विजयवाड़ा	72
कुल	**1125**

****